न्यायालय सहायक कलेक्टर (एसडीओ), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 41/2019

प्रार्थी

मोहनलाल पुत्र हबताराम जाति घांची निवासी इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर तहसील व जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 11.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा जालोर ए के म्यूटेशन सं0 410 के पुराने खसरा नं0 2587/1485 व नये खसरे नं0 725, 726, 727 में कालूराम व काला के स्थान पर मोहनलाल लिखा जावे। साथ ही खातेदारी आराजी की जमाबंदी में रास्ता नही होने के बावजूद भी रास्ता चल रहा है। जिसे संशोधित किया जावे।

प्रकरण दर्ज किया गया। तहसीलदार, जालोर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र व प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जालोर की रिपोर्टानुसार सरहद मौजा जालोर 'ए' के नवीन खसरा नं0 725, 726, 727 कुल रकबा 0.37 हे0 में खातेदार कालूराम वल्द हबता 1/2 हिस्सा कौम घांची साकिन जालोर 'ए' में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी के पिता के फौत होने पर वक्त नामान्तरकरण संख्या 1165/17.09.81 के जरिये प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण में काला वल्द हबता दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहनलाल दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर मौजा जालोर 'ए' के खसरा नं0 725 में नक्शा ट्रेस में रास्ते की आकृति दर्ज होने से प्रार्थी की खातेदारी में भू-प्रबंध विभाग द्वारा खसरे के नीचे रास्ता अंकित किया गया है एवं प्रार्थी ने खातेदारी में जो किस्म रास्ता अंकित हैं। तहसीलदार जालोर की रिपोर्टानुसार यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के प्रावधानों के तहत दूरस्ती काबिल प्रतीत नही होता है।

सरहद मौजा जालोर 'ए' संवत 2072-75 के नवीन खसरा नं0 725, 726, 727 कुल रकबा 0.37 हे0 में दर्ज खातेदार का नाम तहसीलदार जालोर की रिपोर्टानुसार कालूराम वल्द हबता की बजाय शुद्ध मोहनलाल वल्द हबताराम दर्ज किया जाना प्रथम दृष्ट्या ही धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत दूरस्त किया जाना उचित व न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जालोर 'ए' के वर्तमान ख0नं0 725, 726, 727 रकबा 0.37 हे0 में अंकित दर्ज खातेदार का नाम कालूराम वल्द हबता की बजाय शुद्ध नाम मोहनलाल वल्द हबताराम जाति घांची निवासी जालोर दर्ज किया जावें। तहसीलदार जालोर को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती करें।

निर्णय स्वरे इजलास आज दिनांक 11.06.2019 को सुनाया गया।

11/6/19

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (एसडीओ)
जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 15:15:42 IST
Reason: SelfAttested